

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
संशोधित आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के स्थानान्तरण संबंधी आदेशोंक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45001/प्र.अ.-स्थाना./2018 दिनांक 18.5.2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	कहां से	कहां को	आंशिक संशोधन का विवरण
1	सांवरिया दुबे	रामावि आवर. झालावाड	रामावि मोतीपुरा, झालावाड	कार्मिक का नवीन पदस्थापित स्थान संशोधन किया जाकर राबामावि गणेशपुरा गरनावद, झालावाड पढा जावे।
2	शैलेन्द्र कुमार जैन	रामावि ईसरदा, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर	राबामावि एम. बी.के. वार्ड 12 झालावाड	कार्मिक का नवीन पदस्थापित स्थान में संशोधन किया जाकर राबामावि आवर, झालावाड पढा जावे।
3	अंजुरानी कांतीवाल	रामावि फलवाडी, सिरोही	रामावि लकमावा छोटा सिरोही	कार्मिक का नवीन पदस्थापित स्थान में संशोधन किया जाकर रामावि चडुआल, सिरोही पढा जावे।

शर्तें मूल आदेशों में वर्णितानुसार यथावत रहेंगे।



(नथमल डिडेल)


आई ए एस

निदेशक, माध्यमिकशिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था/2018 दि 0 24 -05-18

प्रतिलिपिनिम्नांकितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही, पालनार्थप्रेषितहै :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
- 3 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिकशिक्षा।
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिकशिक्षा (प्रथम/द्वितीय)
- 5 सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटरअनुभागकोविभागीय वैबसाईटपरअपलोडकिय जानेहेतु।
- 7 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
- 8 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।


सयुक्तनिदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि0 स्तर के शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण, उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में (कॉलम संख्या-05 में उल्लेखितानुसार) प्रधानाध्यापक-मावि के पद पर एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक सर्वे श्री	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	2	3	4	5	6
1	RAMESH CHANDRA SHARMA	GOVT. AADARSH SEC. SCH. GADIYAMER II	JHALAWAR	M.B.K. GOVT.GIRLS .SEC. SCHOOL JHALAWAR W-12, JHALARAPATAN (08320261002)	JHALAWAR
2	NAND LAL PAREITYA	GSS,ARJUNPURA	JHALAWAR	G.SEC.S. MOTIPURA, BAKANI (08320441201)	JHALAWAR

संबंधित कार्मिक दिनांक 02.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। आर.वी.आर.ई.एस. योजना के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। परीक्षा अवधि- 2 वर्ष पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों की हद तक उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। अतः सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक, कार्यमुक्ति से पूर्व उक्त तथ्यों की जांच कर लें अन्यथा स्थिति में विभाग/अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान बीकानेर

दिनांक 24.5.2018

क्र.स. :- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था0/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही, पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
- 3 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा।
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)
- 5 सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शाला दर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किय जाने हेतु।
- 7 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
- 8 गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधित आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष के स्थानान्तरण संबंधी आदेशांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र.अ.-स्थाना./2018 दिनांक 22.5.2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक पद	कहां से	कहां को	आंशिक संशोधन का विवरण
1	योगेश नारायण शर्मा	रामावि दादिया जिला जयपुर	रामावि बिन्दा अकलेरा जिला झालावाड	कार्मिक का नवीन पदस्थापित स्थान संशोधन किया जाकर रामावि ठिकरिया, सांगानेर जिला जयपुर पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेश में वर्णितानुसार यथावत रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था/2018 दि 24-05-18

प्रतिलिपिनिम्नांकितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही, पालनार्थप्रेषितहै :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
- 3 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिकशिक्षा।
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिकशिक्षा (प्रथम/द्वितीय)
- 5 सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटरअनुभागकोविभागीय वैबसाईटपरअपलोडकिय जानेहेतु।
- 7 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
- 8 गार्ड पंजिका/ रक्षित पत्रावली हेतु।


सयुक्तनिदेशक (कार्मिक)